

प्रेषक,

पी०के० पात्रो,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तांतरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 21 मार्च, 2015

विषय: जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चिन्मालीसीड़ जोगाथ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.319 हे० वन भूमि का गैर कानूनी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यापन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2708/1जी FP/UK/ROAD/8571/2014 दिनांक 27 मार्च, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राजपाल महोदय जनपद उत्तरकाशी (आगवास्त जिला श्रेणी सूची में निर्धारित) में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चिन्मालीसीड़ जोगाथ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.319 हे० मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि को गैर कानूनी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यापन की सैद्धान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या एफ०न०-11-08/56-एफ० सी० दिनांक 07 नवम्बर, 2014 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

1. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यवर्तित भूमि के बदले 2.836 हे० सिविल शीयम भूमि पर क्षति पूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छ माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात् ही प्रदान की जा रही सैद्धान्तिक स्वीकृति निगम मानी जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आश-पास स्थित पड़े स्थानों पर यथाचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई०ए०सं० 568 एवं भारत सरकार पत्र सं०-5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का यथनवद्धता प्रस्तुत करेंगे कि संक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में कमी होती है तो 4वीं हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
5. भारत सरकार पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रधान तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं० एस०न०-25229 कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी०जी०ओ० कार्पोरेशन, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा की जायेगी।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 110 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई०ए०सं०-568 एवं भारत सरकार पत्र सं०-5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रधान तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी०जी०ओ० कार्पोरेशन, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरांत ही पावती की जायगी, जमा की गई धनराशि का

बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का गंदवार विवरण अर्थात् एन0पीडी, सतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) उपस्थित करावे जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।

7. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
9. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,

(डी0के0पात्री)

अपर सचिव।

संख्या: 22/1 (1)/ X-4-15/1(86)/2015, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एम0आर0 आई0, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महोत्पादक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल पोड़ी।
5. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
7. अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0आई0, उत्तरकाशी।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NCC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि, कृपया इस शासन-देश को एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)

उप सचिव।

